जिला योजना एवं सांख्यिकीय, जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0

छिन्दवाडा जिले की सामान्य जानकारी

जनसंख्या

जनसंख्या	नगरीय	ग्रामीण	पुरूष	महिला	अ0सू0जाति	अ0सू0ज0जा0
1849263	452203	1397080	947337	901946	641421	214201

प्रशासनिक इकाई

राजस्व अनुविभाग	तहसील	विकास खण्ड	आदिवासी विकासखण्ड	नगर	ग्राम	आबाद ग्राम	राजस्व ग्राम	वन ग्राम	वीरान ग्राम	पटवारी हल्के
06	9	11	04	24	1975	1849	1959	48	48	319

1–सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

आम जनता द्वारा माननीय सांसदों से क्षेत्र में मूल–भूत सुविधाओं के लिये छोटे छोटे निर्माण कार्यो का अनुरोध करती है । इसे दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992–1993 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई है । वर्तमान में प्रत्येक सांसद को वित्तीय वर्ष में 200.00 लाख रूपये तक के स्थानीय महत्व के आवश्यक कार्य सम्पन्न कराने हेतु अनुशंसा करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है । इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य स्वीकृत किये जाते हैं जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें ।

योजना के तहत माननीय सांसद महोदय द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्य स्वीकृत करने के लिये जिला कलेक्टर को अनुशंसा की जाती है । इस अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर द्वारा स्थानीय निर्माण एजेन्सियों यथा लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यॉत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय/नगरीय निकाय, विद्युत विभाग, आदि विभागों के द्वारा प्रस्तुत प्रांक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है

योजना से स्वीकृत कार्यो की निरंतर समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जा जाकर प्रगति भारत सरकार को प्रतिवेदित करने का प्रावधान किया गया है । इस योजना में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थाई परिसंपत्तियों अर्थात पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सड़कें इत्यादि का निर्माण कराया जाता है ।

योजना के तहत लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यो के लिये अनुशंसा कर सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यो की अनुशंसा कर सकते हैं । वर्तमान में जिले को लोकसभा सदस्य माननीय श्री कमलनाथ जी एवं राज्यसभा सदस्य माननीय श्री प्यारेलाल जी खण्डेलवाल द्वारा 2004–2005 से एवं माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी सांसद राज्यसभा द्वारा 2006–07 से इस जिले का चयन किया गया है । इस निधि से राशि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा एवं राशि प्राप्त हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क0	वर्ष	प्राप्त आवंटन	प्रशा0स्वीकृति	व्यय राशि	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	निरस्त
1	2003.04	200.00	215.32	199.60	181	173	1	7
2	2004.05	400.00	403.11	364.43	213	197	15	1
3	2005.06	400.00	402.54	390.87	244	160	84	0
4	2006.07	300^00	105.59	62.00	29	0	29	0

योजना के तहत स्वीकृत वर्ष 2002–2003 तक के सभी कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । वर्ष 1993–94 से 2005–06 तक कुल 1300 कार्य स्वीकृत थे जिनमें से 1200 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं जो कि 92.15 प्रतिशत है ।

2—विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

माननीय विधानसभा सदस्यों से उनके निर्वाचन से बहुधा उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी पूंजीगत स्वरूप के छोटे—छोटे कार्यो को कराये जाने के लिये सम्पर्क कर अनुरोध करते हैं । इस उदद्देश्य की पूर्ति हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना बनाई गई ।

योजना का क्रियान्वयन 1994—1995 से निरंतर किया जा रहा है । इस योजना के तहत पूर्व में प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु रूपये 60 लाख का प्रावधान रहता था । वित्तीय वर्ष 06—07 से प्रत्येक सदस्य को 80 लाख रूपये तक के कार्यो की अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है । विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर प्राथमिकताऍ निर्धारित करते हुए कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृत जारी करते हैं ।

योजना के तहत माननीय सदस्य केवल अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्यो की अनुशंसा कर सकते हैं । योजना में ऐसे कार्य स्वीकृत किये जाते हैं जो कि एक या दो सीजन में पूर्ण हो जावें । योजना से स्वीकृत कार्यो को जिले की सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाता है ।

छिन्दवाडा जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं । प्रत्येक सदस्य को 80 लाख रूपये के मान से 640.00 लाख रूपये का आवंटन जिले को प्राप्त होता है । विगत तीन वर्षो की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

क0	वर्ष	प्राप्त आवंटन	प्रशा0स्वीकृति	व्यय राशि	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	निरस्त
1	2004.05	320.00	320.00	290.45	450	440	10	0
2	2005.06	480.00	481.15	411.55	459	360	85	14
3	2006.07	640.00	271.44	111.86	227	25	202	0

वर्ष 94—95 से 05—06 तक कुल 3200 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 3073 कार्य पूर्ण कराये गये हैं जो कि 96.03 प्रतिशत है । 05—06 के शेष कार्यो को दिसम्बर 06 तक पूर्ण कराने की कार्य योजना बनाई गई है ।

3—जन भागीदारी योजना योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2000—2001 से जन भागीदारी योजना का प्रावधान किया गया है जिसके तहत जन सहयोग की राशि अथवा श्रमदान तथा शासन द्वारा अंशदान प्रदान कर विकास कार्यो का संपादित कराया जाता है । इस योजना में “अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत जन भागीदारी करने पर शासकीय अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायत नगरीय निकाय क्षेत्रों में 75प्रतिशम तक सीमित रहेगी ।

योजना के तहत जनता की जन भागीदारी के साथ—साथ —

1— स्कूल कालेज की जन भागीदारी समिति की राशि
2— वन विभाग की वन समितियों की राशि
3— स्वास्थ्य विभाग की रोगी कल्याण समिति की राशि
4— पशु चिकित्सा विभाग पशु कल्याण समिति की राशि

को भी जनभागीदारी के रूप में मान्य किया गया है ।

इस योजना के अंतर्गत जनभागीदारी से कार्य कराने हेतु संबंधित निकाय का संकल्प, कार्य की लागत, जनभागीदारी अंश का उल्लेख, प्रांक्कलन की तकनीकी स्वीकृति, पृथक से जन भागीदारी का बैंक में खाता खोलकर खाते में जमा राशि, खाता क्रमांक एवं पासबुक की छायाप्रति के साथ प्रस्ताव भेजे जाने पर उपलब्ध आवंटन के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं ।

क0	वर्ष	प्राप्त आवंटन	प्रशा0 स्वीकृति	शासकीय अंश	जन भागीदारी	व्यय राशि	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगति पर	निरस्त
1	2004.05	139.00	201.37	139.00	62.37	200.50	115	114	1	0
2	2005.06	140.00	265.67	153.82	111.85	258.13	164	145	19	0
3	2006.07	150ण्00	136.94	94.67	42.82	60.85	68	10	58	0

इस योजना के तहत वर्ष 00–01 से 2005–06 तक 480 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 460 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं जो कि 95.83 प्रतिशत है ।

4–जिला योजना प्रारूप 2006–2007

जिला योजना प्रारूप 2006–2007 हेतु राज्य योजना मंडल द्वारा 8986.00 लाख रूपये की योजना सीमा निर्धारित की गई थी । कार्यपालक समिति की बैठक में जिले में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 10693.00 लाख का योजना प्रारूप तैयार कर राज्य येाजना मंडल को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया । योजना बनाते समय इस बात को प्राथमिकता दी गई कि जिले में सिंचाई का प्रतिशत बढे ।

अतः वर्ष 2006–07 हेतु जिले में सिंचाई क्षमता बढाने के कार्य को प्राथमिकता दी गई इसके लिये जल संसाधन विभाग के तहत नाबार्ड की अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने तथा नवीन योजनाओं की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है जिससे मार्च 2007 तक 46 लघु सिंचाई याजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं के पूर्ण होने से जिले का सिंचाई प्रतिशत 9. 91 अर्जित किया जा सकेगा ।

राज्य योजना मंडल द्वारा जिले की योजना वर्ष 2006–2007 हेतु रूपये 11497.57 लाख का अनुमोदन किया गया है । आगामी वर्ष 2007–08 हेतु जिले के लिये जिला योजना सीमा शासन द्वारा 120.91 करोड योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है,जिसे 10 अक्टूबर 06 तक शासन को प्रेषित करना है ।

5– मध्यप्रदेश में जन्म मृत्य रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के संबंध में

भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 तथा मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1973 तथा संशोधित नियम 1999 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है । उक्त अधिनियम और नियम में प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन होना अनिवार्य है, और इसका दायित्व घर के मुखिया, चिकित्सालयों के अधिकारियों, संस्था, हॉस्टल, धर्मशाला, छात्रावास आदि में इसके भार साधक अधिकारी का है । समय पर जन्म मृत्यु घटना का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर विलंव की घटनाओं के पंजीकरण में अनेक कठिनाईयों का सामना करना होता है, जबकि जन्म तारीख के लिये जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु की घटना के लिये मृत्यु का प्रमाण पत्र ही कानूनी एवं सर्वमान्य दस्तावेज है ।

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत रजिस्ट्रारों को जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है । मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 दिसम्बर 2003 को प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु एवं समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों/पंचायत कर्मियों को उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु घोषित किया गया है जो दिनांक 1.1.2004 से प्रभावी हो चुका है ।

नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ।

जन्म मृत्यु का पंजीयन
कब ? क्यों ? और कहॉ ?

1– जन्म–मृत्यु का पंजीयन कब ?

1– आपके परिवार में हुई प्रत्येक जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनी जरूरी है ।

2– समय पर पंजीयन करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानियों एवं झंझटों से आप बच सकते हैं ।

3– परिवार में हुई जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 21 दिन तक आप निशुल्क करवा सके हैं ।

2– जन्म एवं मृत्यु पंजीयन क्यों ?

जिला योजना एवं सांख्यिकीय, जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0

	जन्म प्रमाण पत्र		मृत्यु प्रमाण पत्र
1	जन्म तारीख एवं स्थान का एक मात्र प्रमाणिक दस्तावेज यही है ।	1	पैतृक सम्पत्ति के निराकरण में उपयोग
2	स्कूल में प्रवेश के समय आवश्यक है	2	कोर्ट / कचेहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में
3	राशन कार्य में नाम दर्ज करवाने के लिये आवश्यक	3	जीवन बीमा बैंक खातों आदि के लिये उपयोगी
4	विदेश यात्राओं के लिये आवश्यक	4	दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा प्राप्ति में आवश्यक ।
5	मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिये	5	मृत्यु के कारणों का पता लगाकर इसके उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिये जरूरी
6	वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिये	6	मृत्यु की तारीख का प्रमाणिक दस्तावेज
7	जीवन बीमा कराने / पाने के लिये		
8	बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड एवं टीकाकरण के लिये		
9	देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात करने के लिये		

3— जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कहॉ कराएँ ?

1— नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में पंजीयन कराया जा सकता है

2— ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में पंजीयन होता है ।

3— ग्राम में कार्यरत ग्राम कोटवार / चौकीदार को जन्म एवं मृत्यु की घटना की जानकारी देकर भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है ।

4— ग्राम पंचायत का सचिव, ऑगनवाडी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करके भी जन्म—मृत्यु पंजीयन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

5— किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी नगर या ग्रामीण रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में यह घटना हुई है ।

6— बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान आदि में यदि जन्म या मृत्यु की घटना होती है तो उसका पंजीयन प्रथम विराम स्थान के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा ।

7— ऐसे घुमन्तु/खाना बदोश समुदाय के लोग जिनका कोई स्थाई निवास नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतत घूमते रहते हैं । उनके परिवारों में हुई जन्म—मृत्यु की घटना का पंजीयन भी उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा, जहॉ ऐसी घटनाएँ हुई हैं।

8— रेल मोटर या अन्य दुर्घटना होने पर मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी उस क्षेत्र में पड़ने वाले रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर ही होगा ।

4— जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कैसे ?

1— जन्म अथवा मृत्यु की घटना की जानकारी अपने नगर की नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत अथवा ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत या ग्राम कोटवार/ चौकीदार को जन्म अथवा मृत्यु की घटना के 21 दिनों के अंदर देकर निशुल्क जन्म अथवा मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।

2— जन्म या मृत्यु की घटना यदि शहर के चिकित्सालय में होती है तो उसके माध्यम से जानकारी शहरी/उस स्थान के पंजीयन कार्यालय को भेजी जावेगी जहॉ से इसका प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो सकेगा ।

3— जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के पश्चात किन्तु 30 दिनों की अवधि की घटना का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये रजिस्ट्रार से अनुमति लेना होगी तथा रूपये 2/—विलम्व शुल्क जमा करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

4— 30 दिनों के पश्चात तथा एक वर्ष की अवधि की घटना के पंजीयन हेतु जिला रजिस्ट्रार को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति प्राप्त होगी जिसे रजिस्ट्रार पॉच रूपये विलंव शुल्क लेकर पंजीयन करेगा ।

5— एक वर्ष के पूर्व कि घटनाओं के पंजीयन हेतु क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जावेगी, जिसे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने पर तथा रूपये 10/— विलम्व शुल्क देने पर पंजीयन हो सकेगा ।

6— जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन कराने की प्रकिया के बारे में जिला योजना अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, पुलिस थाना, पंचायत सचिव,

ऑगनवाडी कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम के शिक्षक तथा गुरूजी आदि से मिलकर विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

7– सही नाम जन्म के 12 महीने के अंदर डलवा दें (पप्पू, गुडिया जैसे नाम न लिखायें)
8– फीस जमा करके ही 15 साल की उम्र तक नाम दर्ज करवाया जा सकता है ।
9– गलती में सुधार रजिस्ट्रार द्वारा ही संभव है ।

5– भूल गये तो क्या करें ?

तुरंत शपथ पत्र बनवा कर यदि घटना को एक साल नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रार के दफ्तर जायें । वरना एस डी एम/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से उस पर आदेश पारित करवा कर रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा । वहॉ फीस भरकर पंजीकरण होगा ।

दिनांक 1 जनवरी 2000 से प्रभावशील मध्यप्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के अंतर्गत पंजीयन शुल्क एवं प्रमाण पत्र शुल्क आदि की दरें :–

क	कार्य का विवरण	निर्धारित शुल्क
1	घटना घटित होने के 21 दिन के अंदर पंजीयन हेतु	निःशुल्क
2	घटना घटित होने के 21 दिन के बाद परन्तु 30 दिन के अंदर पंजीयन हेतु	2 रूपये
3	घटना घटित होने के 30 दिन के बाद परन्तु एक वर्ष के अंदर पंजीयन हेतु करानेहेतु	5 रूपये
4	घटना घटित होने के एक वर्ष बाद पंजीयन कराने हेतु	10 रूपये
5	बिना नाम रजिस्ट्रीकृत जन्म के प्रकरण में माता पिता द्वारा रजिस्ट्रीकरण से 12 माह के अंदर नाम पंजीयन कराने हेतु	निःशुल्क
6	12 माह के बाद परन्तु 15 वर्ष के अंदर नाम पंजीयन कराने हेतु	5
7	घटना के लिए निर्धारित समय सीमा 21 दिनों के अंदर पंजीयन कराने पर सूचनादाता को जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति	निःशुल्क
8	धारा 17 (ए) के अंतर्गत उद्धरण या अप्राप्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रति–	
	क– एक वर्ष की एक इन्ट्री तलाश –	2 रूपये
	ख– प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की तलाश –	2 रूपये
	ग– जन्म या मृत्यु की घटना के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रत्येक प्रति –	5 रूपये
	घ– जन्म या मृत्यु की घटना का अप्राप्तता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु –	2 रूपये

6– जिले के प्रमुख प्रकाशन

जिला योजना एवं सॉख्यिकी कार्यालय द्वारा निम्न लिखित प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है । प्रकाशनों में जिले के सभी विभागों विकास संबंधी एवं अन्य प्रमुख जानकारी का समावेश रहता है । इन प्रकाशनों के आधार पर सरकार बजट एवं योजनाएँ तैयार करती है । इन्हीं ऑकडों का उपयोग शिक्षाविद, रिसर्च स्कालर आदि के द्वारा भी किया जाता है ।

1– जिला सॉख्यिकी पुस्तिका–वार्षिक
2– जिले के प्रमुख ऑकडे वार्षिक
3– जनपद पंचायतों के प्रमुख ऑकडे वार्षिक
4– जिला विकास पुस्तिका वार्षिक
5– बाजार समाचार पत्रिका वार्षिक
6– जिले की वार्षिक जीवनांक साख्यिकी

-: प्रमुख ऑकडे :-

क्रमांक	मद	इकाई	समंक
1-	भौगोलिक [illegible]त्र	वर्ग कि.मी	11815
2-	**प्रशासनिक इकाई (31 मार्च 2005)**		
	तहसील	संख्या	09
	विकास खण्ड	संख्या	11
	आदिवासी विकास खण्ड	संख्या	04
	नगर (जनगणना 2001)	संख्या	24
	कुल ग्राम (जनगणना 2001)	संख्या	1975
अ-	**आबाद ग्राम --//--**	संख्या	1849
ब-	राजस्व ग्राम --//--	संख्या	1959
स-	वन ग्राम --//--	संख्या	49
	वीरान ग्राम --//--	संख्या	74

	राजस्व निरीक्षण मंडल	संख्या	19
	पटवारी हल्का	संख्या	319
	पुलिस स्टेशन	संख्या	23
	विधान सभा क्षेत्र	संख्या	08
	नगरपालिका	संख्या	04
	नगर पंचायत	संख्या	08
	जनपद पंचायत	संख्या	11
	ग्राम पंचायत	संख्या	808
3-	**जन संख्या (2001 जन गणना)**		
अ-	जनसंख्या	संख्या	1849283
	नगरीय	संख्या	452203
	ग्रामीण	संख्या	1397080
	पुरूष	संख्या	947337
	महिला	संख्या	901946
	अनुसूचित जन जाति (2001 जन गणना)	संख्या	641421
	अनुसूचित जाति (2001 जन गणना)	संख्या	214201
ब-	**कार्यशील जनसंख्या (2001 जन गणना)**	संख्या	
1-	मुख्य कार्यशील जनसंख्या (2001 जन गणना)	संख्या	779533
अ-	कृषक	संख्या	304192
ब-	खेतीहर	संख्या	274796
स-	पारिवारिक उद्योग	संख्या	12617
द-	अन्य मुख्य कार्यशील व्यक्ति	संख्या	187928
2-	सीमान्त कार्यशील व्यक्ति	संख्या	220215
3-	गैर कार्यशील व्यक्ति	संख्या	1069750
4-	**कृषि जोत 2001**		
	संख्या	संख्या	247284
1.	क्षेत्रफल	हेक्टर	601529
2.	औसत आकार	संख्या	2.98
5-	**कृषि 2004-2005**		
1.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हेक्टर में	484062
2.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र द्विफसली	हेक्टर में	117467
3.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	कि.ग्रा.मे	121645
4.	कुल सिंचित क्षेत्र	हैक्टर मे	131020
6-	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन 2004-2005		
1.	**मुख्य अनाज फसलें**	**क्षेत्र**	उत्पादन मी.ट.
अ.	गेंहू	**हेक्टर मे**	111696
ब.	ज्वार	84244	88568
स.	मक्का	53088	145979
2.	**मुख्य दाल फसलें**	76013	
अ.	उड़द		4659
ब.	तुअर	11978	21039
3.	**मुख्य तिलहन फसले**	22001	
अ.	मूंगफल्ली		24933
ब.	सोयाबीन	25894	117909
4.	**अन्य मुख्य फसलें**	140087	25284

अ.	धान	22682	
7-	**पशुधन एवं कुक्कुट 2005-06**		
1.	कुल पशुधन	संख्या	1176202
2.	कुल कुक्कुट	संख्या	470083
8-1	**श्रम एवं नियोजन (2004-2005)**		
अ.	पंजीकृत कारखानें	संख्या	161
ब.	रोजगार कार्यालय में पंजीयन	संख्या	58867
स.	व्यक्ति जिन्हे काम दिलाया गया	संख्या	अप्राप्त
8.2.	**प्रशासनिक ेत्र में नियोजन 2003-2004)**		
1.	**राजपत्रित अधिकारी**		
अ	.प्रथम श्रेणी	संख्या	77
ब	.द्वितीय श्रेणी	संख्या	878
	अराजपत्रित कर्मचारी		
3.	तृतीय श्रेणी	संख्या	12217
अ.	चतुर्थ श्रेणी	संख्या	1851
ब.	**कार्यभारित कर्मचारी**		
4.	आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारी	संख्या	615
अ.	कोटवार	संख्या	1660
9-	**प्रमुख खनिज उत्पादन 2005-06**		
1.	कोयला	लाख टन	3113760.5
2.	मैंगनीज	लाख मी.टन	22552.00
3.	डोलामाइट	हजार.टन	8692.97
10-	**अधिकोष एवं साख वर्ष-2004-2005**		
.	वाणिज्य बैंक एवं शाखायें (ेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)	संख्या	140
1	**प्राथमिक कृषि साख समितियों 2003-2004**	संख्या	145
अ.	सदस्यता	संख्या	177032
c.	अल्पवधि ऋण	लाख रू. में	6934
द.	मध्यावधि	लाख रू. में	464
3.	**गैर कृषि साख समितियॉ**	संख्या	31
अ.	सदस्यता	संख्या	15968
ब.	कार्ययील पूंजी	लाख रू. में	5657
11-	**विद्युत 31 मार्च 2005 की स्थिति में**		
1.	विद्युतकृत ग्राम	सॅख्या	1897
2.	विद्युतउपभोग	के.डव्लू. एच.	590370
3.	ग्रामीण	मे बिध्युत	375828
4.	नगरीय	लाख यूनिट में	214542
5.	ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता	----"------	226920
6.	नगरीय विद्युत उपभोक्ता	सॅख्या	61443
7.	पम्पसेटों की संख्या	सॅख्या	72026
12-	**परिवहन (2003-2004**		
1.	लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़के		
अ.	पक्की सड़के	कि.मी.	1840.312
ब.	कच्ची सड़के	कि.मी.	779.00
स.	रेल्वे स्टेशन	संख्या	35

13-	संचार (2004-2005)		
1.	डाक घर	संख्या	270
2.	लारघर	संख्या	30
3.	टेलीफोन कनेक्शन	संख्या	5509
14-	**शि ाा सा ारला 2001 की जनगणनानुसार**	संख्या	1020599
1.	पुरूष	संख्या	607698
2.	स्त्री	संख्या	412901
3.	ग्रामीण	संख्या	699987
4	नगरीय	संख्या	320612
15.	मान्यला प्रपप्ला शि ाण संस्थायें एवं बिध्यार्थियों की संख्या (2005-06)		
	प्राथमिक शालायें		
1-	विद्यार्थी	संख्या	2834
v-	माध्यमिक शालाऍं	संख्या	314579
2-	विद्यार्थी	संख्या	911
v	हाईस्कूल शालाऍं	संख्या	106805
3-	विद्यार्थी	संख्या	150
		संख्या	41594
4.	उच्चत्तर माध्यमिक शाला	सॅख्या	189
अ.	विद्यार्थी	संख्या	47007
5.	व्यवसायिक शि ाा		
अ.	विद्यालय	सॅख्या	10
ब.	विद्यार्थी	सॅख्या	988
6.	कालेज	la{;k	12
अ.	विद्यार्थी	la[;k	8958
16	**स्वास्थ्य सेवायें शासकीय 2005 ी स्थिलि में**		
1.	एलोपेथीक चिकिल्सालय	संख्या	01
2.	ाय आरोग्य धाम	संख्या	01
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	66
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	15
5.	अलरिक्ला प्रा.स्वा.केन्द्र	संख्या	----
	लधु स्वा.केन्द्र सिविल डिस्पेनसरी	संख्या	-----
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	312
7.	शैयायें	संख्या	1192
8.	कुल नसबंदी	संख्या	1225
अ.	महिला नसबंदी	संख्या	1199
ब.	पुरूष नसबंदी	संख्या	26
9.	देशी पद्वलि के अन्लर्गल चिकिल्सालय एवं औषालय	संख्या	67
17	**पशु चिकिल्सा 31 मार्च 2006 ी स्थिलि**		
1.	पशु चिकिल्सालय एवं चल पशु चिकिल्सालय	संख्या	23
2.	पशु औषालय	संख्या	74
3.	कृत्रिम गर्भधान	संख्या	04
4.	कृत्रिम गभधान उप केन्द्र	संख्या	38
5.	उपचारिल पशुओं की संख्या	संख्या	159823
6.	कृत्रिम गर्भधारी पशुओं की संख्या	संख्या	17974
18	**पेयजल सुविधा 31 मार्च 2005 ी स्थिलि**		

जिला योजना एवं सांख्यिकीय, जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0

1. 2. 3	समास्या मूलक ग्राम नलजल प्रदाय योजना अन्तर्गत ग्राम स्थल जल प्रदाय योजना	संख्या संख्या संख्या	1162 682 38
19 1. 2. 3. 4.	योजना मंडल 31 मार्च 2006 ी स्थिति प्राप्त आबंटन व्यय राशि स्वीकृत कार्य पूर्ण कार्य	 लाख रू. में लाख रू. में संख्या संख्या	 1020-00 1020-00 866 464s
20 1. अ. ब.	जीवनांक 31 दिसम्बर 2004 की स्थिति कुल जीवित जन्म कुल मृत्यु शिशु मृत्यु	 संख्या संख्या संख्या	 33463 10305 653
22 1. 2. 3. 4.	समाचार पत्र एवं नियत कालीन पत्रिकायें 2005-06 देनिक साप्ताहिक पाि ाक मासिक	 संख्या संख्या संख्या संख्या	 02 13 1 1
23	जिलें में छविगृह	संख्या	13
24	जिलें में पर्यटन स्थल प्रसिद्धि विवरण :- 1-देवगढ़ (ऐतिहासिक भग्नावशेष) 2-तामिया(प्राकृतिक सुषमा) 3-पातात कोट (प्रकृति का अनुपम उपहार औसत गहरा॒) 4-अन्होनी (झिरपा गर्म पानी का झरना) 5-राधादेवी (गुफा में शिव लिंग एवं पर्वत दृश्य मनोहर) 6-छोटा महादेव तामिया (गुफा के ऊपर पर्वतीय नाले की जलधारा) 7-आदिवासी अनुसंधान केन्द्र छिन्दवाडा (आदिवासी के जीवन से संबंधित वस्तुओं तथा माडलों का अदभूत संग्रह)	संख्या	07

भविष्य की कठिनाईयों एवं झंझटों से छुटकारा पाने के लिये समय पर जन्म – मृत्यु घटना का रजिस्ट्रेशन करावें